



मु० न०:- 124/2024

तारीखरजू:- 8/10/24 2024/228

उनवान:- कान्ता बनाम रामधन वगै०
दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
8/10/24	<p>वादी की और से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 06.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी </p>	<p>6537-45 8/10/24</p>
6/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील ने उपरोक्त ड्रेफ्ट काउंटेरिफा पर इस बाबत ड्रलाइट लिपि की इस पक्षाकारण के मध्य वाजिनामा ड्रेफ्टा है। इसकी ड्रफ्ट ड्रावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को लागू नहीं करना चाहते हैं। इसकी वादी का ड्रफ्ट दावा नोटिस के इमरिज किया जाता है। पत्रावली के द्वारा तकास्मा ड्रेफ्ट नम्बर से कम कर ड्राइल ड्रफ्ट ड्रेफ्ट</p> <p style="text-align: right;">  </p>	<p>Not press दिनांक</p> 